न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–90/2015

CIS NO :- TS-268/2018

शशिकांत प्रसाद श्रीवास्तव एवं अन्य..वादीगण

बनाम

अब्दुल वहाब एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
02.09.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की तरफ से दिये गये आवेदन दिनांक 16.12.2021 संबंधित धारा 74 एवं 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 16.12.2021 में कहा गया है कि वादी ने अपने दावे के समर्थन में वादग्रस्त भूमि का सर्वेहाल खतियान तथा वादग्रस्त भूमि के निस्वत प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांक 03.11.2014 उषा वर्मा बनाम अब्दुल वहाब की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया है, जो अभिलेख पर है। तथाकथित बयनामा दिनांक 03.11.2014 की मूल प्रति प्रतिवादी के पास है। जिसे प्रतिवादी ने दाखिल किया है। प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। इन्हें साबित करने के लिए औपचारिक साक्षी की आवश्यकता नही है। दाखिल कागजात वाद के अंतिम न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि न्यायहित में प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें अन्यथा वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख अभी वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद के अंतिम न्याय निर्णयन हेतु सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य न्यायालय में आना चाहिए जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से हो सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। दाखिल दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आना प्रतीत होते है। अतः वादीगण का	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–90/2015

CIS NO :- TS-268/2018

शशिकांत प्रसाद श्रीवास्तव एवं अन्य...वादीगण

बनाम

अब्दुल वहाब एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 02.09.2023	आवेदन दिनांक 16.12.2021 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजों को पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार प्रदर्श चिन्हित करें। आगामी दिनांक 03.10.2023 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	